FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

प्रार्थीगण:–	बनाम	अप्रार्थीगण
मोटाराम पुत्र मंगलाराम कौम जाट निवासीगण अबकाई ढाणी वगैरह		भोलाराम पुत्र भेराराम कौम जाट निवासीगण अबकाई ढाणी वगैरह

किस्म मुकद्दमा– राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आ0टी0एक्ट0 1955 नबर. 35 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।
04-08-20	वकील प्रार्थीगण उपस्थित वकील प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ.टी.एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया है । राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 07/08/20 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी, सोजत	
07-08-20	अधिवक्ता प्रार्थी उप. अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 को जरिये नोटिसेज बाद तामिल प्राप्त सा.मि. हो। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री महेन्द्र... अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा पेश किया सा.मि. हो। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया, सा.मि. हो। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र 1 से 4 व स्थगन प्रार्थना पत्र आइन्दा दिनांक 27/8/20 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी सोजत (जिला-पाली) राज	
27/8/20	वकुलाय उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 01 से 4 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र मय फहरिस्त दरतावेजात प्रस्तुत किये। जबाब प्रार्थना पत्र की प्रति अधिवक्ता प्रार्थीगण को दिलाई गई, सा0मि0 हो। बहस वकुलाय सुनी गई एवं समायत की गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय का पेश किया कि राजस्व ग्राम अबकाई ढाणी तहसील सोजत के खसरा नम्बर 132 रकबा 2.64 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 132/1 रकबा 2.4600 हैक्टर किस्म बारानी दोयम प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि ग्राम अबकाई ढाणी से चौपडा जाने वाली मुख्य सडक के पास स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण ने अपनी सुविधानुसार रहवासी मकान बना रखें है। इन रहवासी मकानों के मुख्य दरवाजे डामर सडक की तरफ खुलते है। प्रार्थीगण भी डामर सडक से आते – जाते है। उक्त सडक खसरा नम्बर 128 गै0मु0 रास्ता में स्थित है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 132 व 132/1 तथा खसरा नम्बर 128 गै0मु0 रास्ता के बीच में करीब 40 फुट चौडी (पट्टीनुमा), खसरा नम्बर 130 रकबा 0.200 हैक्टर गै0मु0 आखरीया व खसरा नम्बर 129 गै0मु0 आगौर की भूमि स्थित है। प्रार्थीगण उक्त दोनो खसरा का उपयोग व उपभोग रास्ते के रूप में पिछने बिस वर्षो से बिना किसी रोक टोक कर रहे है। अप्रार्थीगण सख्या 1 से 4 द्वारा खसरा नम्बर 129 व 130 की भूमि	

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

पर तारबन्दी कर कब्जा करना चाहते है तथा सभा भवन व काजी हाउस बनाकर फाटक लगाना चाहते है। जिससे प्रार्थीगणो के घर से निकलने वाला रास्ता बन्द हो जायेगा ऐसा करने का अप्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर सरहद मौजा गाम अबकाई ढाणी तहसील सोजत के खसरा नम्बर 129 रकबा 3.2100 हैक्टर किस्म गै0मु0 आगोर व खसरा नम्बर 130 रकबा 0.200 किस्म गै0मु0 आखरीया पर अप्रार्थीण संख्या 1 से 4 को अतिक्रमण करने , कब्जा करने व उस पर तारबन्दी कर निर्माण करने तथा प्रार्थीगणों के मकान में आने जाने हेतु मौके पर स्थित रास्ते के उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से रोके जाने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोके जाने की ईस्तदुआ की है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जबाब प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या 01 गलत होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर 132 व 132/1 प्रार्थीगण की खातेदारी है तो प्रार्थीगण दस्तावेज साक्ष्य से साबित करे। अबकाई ढाणी से चोपडा बिलाडा जाने वाली सडक पर आई हुई अवश्य स्थित है। प्रार्थीगण ने कोई नजरी नक्शा प्रस्तुत नही किया है, प्रार्थीगण ने सरकारी भूमि खसरा संख्या 128 पर अवैध अतिक्रमण किया है तथा खसरा संख्या 129 गैर मुमकिन आगोर व 130 गै0मु0 आखरिया पर भी अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिससे राज्य सरकार के द्वारा हटाया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा किया गया अवैध अतिक्रमण को संरक्षित करने की नियत से यह झूंठा दावा पेश किया है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 129 , 130 पर पक्का निर्माण करने पर उतारू है, जिसे रोकने हेतु तहसीलदार, सोजत द्वारा कार्यवाही की जा रही है, उक्त कार्यवाही को रोकने की नियत से झूंठा दावा पेश किया है। अप्रार्थीगण ने कोई रास्ता अवरूद्ध नही किया है, न ही अप्रार्थीगण कोई अतिक्रमण किया है, प्रार्थीगण स्वयं अतिक्रमि होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कतई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने की ईश्तदुआ की है। अप्रार्थीगण द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र के संलग्न फहरिस्त मय दस्तावेजात पेश किये हे जिनमें ग्रामीणों द्वारा जिला कलक्टर, पाली, उप खण्ड अधिकारी, सोजत, व तहसीलदार सोजत को अतिक्रमण हटाने जाने संबंधित प्रार्थना पत्र की छाया प्रति पेश की है एवं ग्राम पंचायत चौपडा द्वारा तहसीलदार, सोजत को सीमांकन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छाया प्रति पेश की है।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने हस्ब प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 132 रकबा 2.6400 हैक्टर, खसरा नम्बर 132/1 रकबा 2.4600 हैक्टर स्थित होना बताया। प्रार्थीगण की भूमि व डामर सडक खसरा नम्बर 128 गै0मु0 रास्ता, के मध्य स्थित भूमि खसरा नम्बर 129 व 130 में अप्रार्थीगण द्वारा तारबन्दी करने व निर्माण कर अतिक्रमण करने से रोकने व अतिक्रमण करने की फिराक में होने से पृथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। सुविधा व संतुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनो बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होने से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिसके जबाव बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि प्रार्थीगण ने स्वयं राजकीय भूमि खसरा नम्बर 128, 129 च 130 की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया है तथा अपने अतिक्रमण को संरक्षित करने करने की नियत से झूठा दावा पेश किया है। चूकि स्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवेदित भूमि सिवायचक है तथा प्रार्थीगण स्वयं अतिक्रमी है और अतिक्रमण को सरंक्षित करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है जिससे तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से हस्ब प्रार्थना पत्र में चाही गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात में वर्णित तथ्यो का गहनता से अध्ययन किया गया एवं बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 128, 129, 130 मुख्यतः गै0मु0 रास्ता, गै0मु0 आगौर व गैमु0 आखरिया है जो कि सिवायचक भूमि है। उक्त भूमि पर न तो प्रार्थीगण को व न ही अप्रार्थीगण संख्या 1 से 04 को अवैध कब्जा, अतिक्रण व निर्माण इत्यादि करने का हक अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अवैध रूप से कब्जा / अतिक्रमण किया जाता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार तहसीलदार (भूमि धारक) को राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्राप्त है तथा हस्ब प्रार्थना पत्र में भी तहसीलदार, सोजत को अप्राथी संख्या 05 अंकित किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह स्वीकार किया है कि वर्तमान में विवादित भूमि पर किसी का कब्जा / अतिक्रमण नही है व मौके पर भूमि खाली पडी है जिससे प्रार्थीगणों को अपने निवास स्थान पर आने जाने मं कोई व्यवधान नही होने तथा राजकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने हेतु तहसीलदार (भूमि धारक) को भू0राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 91 के तहत कार्यवाही के विधिक अधिकार प्राप्त होने से वर्तमान परिपेक्ष्य में तीनों विन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में कतई सिद्ध नही होते है। लिहाजा अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, अस्थाई निषेधाज्ञा का पोषणीय नही होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

–::आदेश::–

अतः उक्त विवेचना व विश्लेषण के आधार पर अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, अस्थाई निषेधाज्ञा का सारहीन, तथ्यहीन व पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 27/8/20 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner